**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

**(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 278/2016 दायरा दिनांक : 10.08.2016**

**उनवान**

ग्राम वासियान भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

1– श्रीलाल पुत्र श्री रामचरण, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– श्रीकिशन पुत्र नाथूलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– प्रेमनारायण पुत्र माधोलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

4– देवकीनन्दन पुत्र माधोलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

5– ओमप्रकाश पुत्र रामगोपाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

6– पृथ्वीराज पुत्र पन्नालाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

7– जगदीश पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

8– कन्हैयालाल पुत्र रतनलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

9– कन्हैयालाल पुत्र हीरालाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

10– रामरतन पुत्र चतुर्भुज, जाति खाती, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

11– रामभरोस पुत्र रामगोपाल, जाति बैरवा, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

12– बनवारी पुत्र चतुर्भुज, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

13– प्रहलाद पुत्र प्रभूलाल, जाति ब्राहमण, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

14– कंवरलाल पुत्र रतनलाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

15– अमरलाल पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

16– जगदीष पुत्र रामगोपाल, जाति धाकड़, निवासी भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा, जिला बारां

.... अपीलांट

**बनाम**

1– नन्दकिशोर पुत्र गोरधन, जाति धाकड़, निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

2– जोधराज पुत्र गोरधन, जाति धाकड़, निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

3– रामप्यारी पुत्री गोरधन पत्नी कमल, जाति धाकड़, निवासी चावलखेड़ी

4– उर्मिला पुत्री गोरधन पत्नी , जाति धाकड़, निवासी आमली, तहसील अटरू, जिला बारां

5– लाडबाई पुत्री गोरधन पत्नी , जाति धाकड़, निवासी कटावर, तहसील अटरू, जिला बारां

6– मनभर पुत्री गोरधन पत्नी , जाति धाकड़, निवासी हानिहेड़ा, तहसील अटरू, जिला बारां

7– रामभगोत पुत्री गोरधन, जाति धाकड़, निवासी बमोरीघाटा, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

8– रूकमणी बेवा गोरधन, जाति धाकड, निवासी इन्द्रा कॉलोनी छबड़ा, तहसील छबड़ा, जिला बारां

9– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबड़ा

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री वाई. एस. भटनागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी.एल. जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय दिनांक : 25.01.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के प्रकरण संख्या — 71/2007 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2011 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के मिसल नम्बर 71/2007 उनवान गोरधन बनाम सरकार का अधीनस्थ न्यायालय में रेकार्ड उपलब्ध नहीं है । अतः निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं हुई है । डिक्री की नकल नामान्तरकरण संख्या 345 ग्राम भुवाखेड़ी, तहसील छबड़ा में चस्पा होने के कारण प्रमाणित प्रति प्राप्त हो सकी है एवं उसी के आधार पर यह अपील पेश की गई है । विवादित भूमि चारागाह भूमि है सभी ग्रामवासियों के मवेशी उक्त भूमि से पालित—पोषित है । भूमि के गत खसरा नम्बर 28, 29, 30, 71 के नये खसरा नम्बर 212 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 213 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का वादी को खातेदार दर्ज कर न्यायालय ने गम्भीर त्रुटि की है । अतः निर्णय एवं डिक्री अपास्त होने योग्य है । उपरोक्त विवादित आराजी पूर्व में चारागाह दर्ज थी तथा आज भी चारागाह दर्ज है । पूर्व में रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने उक्त चारागाह भूमि से अतिक्रमण भी हटावाया था, परन्तु माह जून 2016 में रेस्पोडेंट नम्बर

1 व 2 द्वारा उक्त भूमि को हकवाने पर ग्रामवासियों की यह जानकारी में आया कि अपीलांट को उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये हैं । उक्त सम्बन्ध में अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर, बारां को भी सूचित किया गया? परन्तु उनके अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक जून 2016 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । उभयपक्षीय बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चारागाह आराजी की खातेदारी रेस्पोडेंट के नाम दी गई है, जो गलत है । उपरोक्त जमीन की किस्म चारागाह है, जो गांव के पशुओं, मवेशियों के चरने के काम आती है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट की खातेदारी में कभी भी दर्ज नहीं रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि उपरोक्त विवादित आराजी सैटलमेंट से पूर्व रेस्पोडेंट की खातेदारी में थी सैटलमेंट ने किस्म बदलकर चारागाह कर दी । हमारे द्वारा समस्त दस्तावेज इस सम्बन्ध में पेश किये गये हैं एवं उसी आधार पर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो सही है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन के अनुसार रेस्पोडेंट द्वारा उपरोक्त आराजी 1955 से पूर्व पूर्वजों की खातेदारी में दर्ज होना बताया है तथा 1955 के पश्चात् उक्त भूमि चारागाह व अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज होना अवगत करवाया है । रेस्पोडेंट को उक्त ज्ञान सन् 2000 में होना बताया है । 50 वर्षों तक रेस्पोडेंट को जमाबंदी की नकल प्राप्त नहीं हुई । क्या 50 वर्षों तक रेस्पोडेंट द्वारा लगान जमा नहीं करवाया गया ? क्या उपरोक्त जमीन को अतिक्रमित भूमि मानते हुए क्या तहसीलदार द्वारा धारा 91 की कार्यवाही नहीं की गई ? उपरोक्त जमीन में से कुछ जमीन अपीलांट द्वारा अन्य व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज होना बताया गया है एवं कुछ जमीन चारागाह दर्ज होना भी बताया गया । अपीलांट द्वारा अन्य व्यक्तियों को पक्षकार नहीं बनाया गया । अपीलांट द्वारा केवल सरकारी खाते में दर्ज जमीन का ही क्लेम किया गया है । वर्ष 1955 से आज दिनांक तक किसी भी जमाबंदी में अपीलांट का नाम दर्ज नहीं होना पाया है । सलंग्न पत्रावली में पटवारी की मौका रिपोर्ट भी दिनांक 27.01.2012 सलंग्न है, जिसमें उक्त भूमि पर मौका निरीक्षण में गत 3 वर्षों में किसी का भी कब्जा काश्त नहीं होना बताया गया है अन्य खसरा नम्बर 214 एवं खसरा नम्बर 236 का रकबा सम्वत 2012 की जमाबंदी से ज्यादा है जबकि दावे में कम बताया गया है । खसरा नम्बर 243 पुराने से खसरा नम्बर 236 एवं खसरा नम्बर 238 नये बने, परन्तु खसरा नम्बर 238 एवं खसरा नम्बर 236 में पुराने नये नम्बरों का भी रकबा शामिल है क्योंकि खसरा नम्बर 238 वर्तमान जमाबंदी के अनुसार 10 बीघा 3 बिस्वा है तथा वर्तमान में उसके खातेदार रामकन्या पुत्र माधो लाल सम्वत 2060 में दर्ज है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955

के अनुसार तथा सम्पूर्ण भूमि पर काश्त करने वाले व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे सलंग्न पत्रावली में 1955 का रेकार्ड जमाबंदी इत्यादि में रेस्पोडेंट खातेदार दर्ज नहीं है । उक्त भूमि तत्समय भी चारागाह दर्ज थी । उक्त भूमि पर काश्त के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं उक्त भूमि वर्तमान में चारागाह के उपयोग में आ रही है । ग्रामवासियों आदि की साक्ष्य नहीं ली गई है । ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया है । उपरोक्त कई इस प्रकार के कानूनी बिन्दु पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई है एवं सरसरी तौर पर रेस्पोडेंट को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत नहीं है । अतः अपास्त होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2011 अपास्त किया जाता है एवं उपरोक्त विवादित आराजी पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन चारागाह दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा